"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2017 — आश्विन 7, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-76/2017/वाक/पांच(132). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 13/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(81), तारीख 28 जून, 2017, जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, के पृष्ठ सं. 504(364) पर, सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,-

(2)
''किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।'',

के स्थान पर निम्न को पढ़ा जाए-

(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं। स्पष्टीकरण : - "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधितत्वकारी सेवाएं सम्मिलीत हैं।"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-76/2017/वाक/पांच(132). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-76/2017/वाक/पांच(132), दिनांक 27-09-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th September 2017

CORRIGENDUM

No. F-10-76 /2017/CT/V (132) - In the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 13/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (81), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, at page 504(369), in the Table, against serial number 2, in column (2), for -

(2)
"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.",

read

(2)
"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly. Explanation.- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.